



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-737

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 276376 दिनांक 07/01/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Vijay Meena S/o KALURAM MEENA	श्री प्रषान्त मूलचन्दानी पुत्र श्री नन्द लाल मूलचन्दानी	A39	200.00 SQ. YARD	Private	VASANT KUNJ	Name Transfer	आवेदक श्री विजय मीना पुत्र श्री कालूराम मीना द्वारा निजी खातेदारी की योजना वसन्त कुंज ग्राम-रलावता के भूखण्ड संख्या ए-39 क्षेत्रफल 200 व.ग. के नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड संख्या ए-39 क्षेत्रफल 200 व.ग. की लीजडीड दिनांक 07.04.2016 को श्री प्रषान्त मूलचन्दानी पुत्र श्री नन्द लाल मूलचन्दानी के पक्ष में जारी की गई है। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या ए-39 क्षेत्रफल 200 व.ग. को श्री प्रषान्त मूलचन्दानी पुत्र



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

श्री नन्द लाल
मूलचन्दानी द्वारा
जरिये पंजीकृत
विक्रय पत्र दिनांक
06.12.2023 को
श्रीमती गीता देवी
पत्नी श्री जगराम
मीना को बेचान
किया गया।
तत्पश्चात उक्त
भूखण्ड संख्या
ए-39 क्षेत्रफल
200 व.ग. को
श्रीमती गीता देवी
पत्नी श्री जगराम
मीना द्वारा जरिये
पंजीकृत विक्रय
पत्र दिनांक
04.04.2025 को
श्री विजय मीना
पुत्र श्री कालूराम
मीना को बेचान
किया गया।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Vijay Meena S/o KALURAM MEENA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।